

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक—प.र रिपोर्ट / रिटर्नर्स / 7(2) विविध / अभि./2006 / २५७९-५२३

दिनांक:— 16/2/18

परिपत्र

इस विभाग के समसंबंधीक आदेश क्रमांक:—6883-928 दिनांक:—05.06.2007 अभियोजन विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त हाने वाले प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा इस में इस विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित परिपत्रों के अनुसार पंजिकाए संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु उक्त आदेश एवं परिपत्र की पालना जिला स्तर से समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। राजस्थान सूचना आयोग जयपुर द्वारा निर्णय परित कर प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सूधार विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय को गृह(ग्रप-5) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:—एफ 9 (23)गृह-5/2005/पार्ट-2 दिनांक:—11.08.2006 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं (प्रति संलग्न है)। इसी संबंध में शासन उप सचिव, प्रशासनिक सूधार विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक— 9(1)प्र.सु./सु.अ.प्र./2018 दिनांक:—24.01.2018 द्वारा परिपत्र क्रमांक:—एफ 9 (23)गृह-5/2005/पार्ट-2 दिनांक:—11.08.2006 की पालना शीघ्र करने के निर्देश दिये हैं। उक्त आदेश एवं परिपत्र की निरन्तरता में यह निर्देश दिये जाते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथा संभव शीघ्र निस्तारण किया जावे। लोक सूचना अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदन पत्रों, उन पर की गई कार्यवाही जमा फीस का सुष्पष्ट व्योरा भी संधारित किया जाता है। इसके लिये प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित निम्न पंजिकाएँ संधारित की जावे।

:-

- 1— आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण (संलग्न प्रपत्र-5)
- 2— फीस आदि संबंधी पंजिका(संलग्न प्रपत्र-6)
- 3— आवेदन निस्तारण(खारिज) करने संबंधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र-7)
- 4— अपील संबंधी संकलित सूचना संबंधी पंजिका(संलग्न प्रपत्र-9)

उप निदेशक अभियोजनगण को निर्देश दिये जाते हैं कि निरीक्षण के समय उक्त पंजिकाओं का भली-भाती निरीक्षण/अवलोकन कर लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1— समस्त उप निदेशक अभियोजन राजस्थान
- 2— समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान
- 3— शासन उप सचिव, प्रशासनिक सूधार विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक:—9(1)प्र.सु./सु.अ.प्र./2018 दिनांक:—24.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

(5)

174

19
245

राजस्थान सरकार
गृह विभाग
(ग्रुप 5)

(19)

क्रमांक एफ ९(२३) गृह-५ / २००६ / पार्ट-२

दिनांक ११ अगस्त २००६

—: परिपत्र :—

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ का प्रभावी क्रियान्वयन,

हालांकि नये अधिनियम को प्रचलित हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि हो गयी है एवं इससे व्यवहारतः आम जनता के लिए वांछित सूचना दिये जाने के अधिकार की व्यवस्था जो १२.१०.२००५ से लागू हुई है की अवधि भी अब लगभग १० माह हो गयी है। परन्तु अब भी सूचना अधिकारियों एवं आम नागरिकों में कुछ भ्रान्तिया बनी हुई है। आम नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसे सूचना के लिए कहाँ सूचना मिल सकती है। कुछ वृष्टांत ऐसे आये हैं जिनमें आवेदक ने अपना प्रार्थना पत्र बहुत बड़ी प्रश्नावली के रूप में पेश किया है एवं उस के उत्तर की अपेक्षा की है, जबकि लोक सूचना अधिकारी वैधानिक व्यवस्था को देखकर यह मत्तव्य रखता है कि सूचना वही देय है जो अधिनियम में परिभाषित है। इसी प्रकार कुछ वृष्टांत ऐसे ही आये हैं जिनमें आवेदक ने अपनी सूजनात्मकता एवं कल्पनाशोलता का उपयोग फार्मट में उपलब्ध करायी जाये, जबकि विभाग में सूचना उससे मिल रूप में संधारित करते हुए बड़े फार्मट बनाकर अपेक्षा की है कि सूचना संकलित करके उसे उस की जाती है। लोक सूचना अधिकारी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सूचना वांछित फार्मट में नहीं संधारित होने के कारण देय है या नहीं। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएँ भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दिलवाने में आमजन की सहायतार्थ आगे आयी है। उनके प्रयास कुछ हद तक नागरिकों के लिए मददगार भी साबित हुए हैं किन्तु कुछ भ्रान्तियाँ भी पैदा हुई हैं। कई आवेदक वांछित जानकारी के अभाव में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के यहाँ आवेदन करने के बायां संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ही आवेदन कर रहे हैं। उदाहरणार्थ थाने या तहसील में आवेदन करने एवं वहाँ के प्रभारी अधिकारी को अधिनियम का ज्ञान नहीं होने के भी कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। जहाँ यह वांछित है कि कार्यालय प्रभारी के स्तर पर कार्यालय में प्रहुचते ही उसे सूचना पट्ट से यह जानकारी निल जावे कि उसे आवेदन कहाँ करना है।

हालांकि इस विभाग के पत्र दिनांक ३.१०.२००५ के द्वारा लोक प्राधिकरणों, राज्य लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों, अपौल अधिकारियों आदि

संबंधी व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिये गये थे एवं राज्य लोक सूचना आयोग का गठन भी अप्रैल, 2006 में किया जा चुका है परन्तु अभी तक अधिकांश लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित सूचनाओं प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

- आवेदक को मार्गदर्शन दिये जाने एवं सूचना दिये जाने के प्रति उत्साह दिखाने के अभाव में आवेदक द्वारा ऐसी सूचना के लिए भी आवेदन दिये जाने लगे हैं जिसे उपलब्ध कराना विधिक या व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। ऐसे कुछ प्रकरण भी संज्ञान में आये हैं जिनमें लोक सूचना अधिकारी, सहयोग कर्ता अधिकारी को ही सूचना प्रदान करने का दायित्व निर्वहन का निर्देश दे देते हैं। अधिनियम का मन्तव्य यह है कि आम जनता को विधि व्यवस्था के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने द्वारा दायित्व निर्वहन लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जावे। बल्कि यह भी सोच रखी गयी है कि यथा सम्भव सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली सूचनाओं को स्वयंसेव लोक सूचित किया जावे।

धारा 4 के अधीन निर्दिष्ट सूचनाओं के प्रचलित किये जाने के अभाव में एवं विभिन्न लोक प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रदर्शित नहीं होने के कारण जहां एक तरफ आवेदकों को कठिनाई महसूस हो रही है वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अंज्ञान प्रदर्शन करने के कारण अधिनियम के कियान्वयन में कठिनाई का अनुभव किया गया है।

लोक सूचना अधिकारियों/ सहायक लोक सूचना अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु 'जिज्ञासा एवं समाधान' उपलब्ध करा दिये गये हैं, तथा विधिक व्यवस्था के अनुसार यूजर गाईड भी तैयार कराली गयी है जिसे निकट भविष्य में प्रकाशित कराया जाना है। इसमें आम नागरिकों के लिए अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। परन्तु इस व्यवस्था का आम नागरिक को लाभ तभी मिलेगा जब वह इसका अध्ययन करने की स्थिति में होगा। अतः आम नागरिक की सामान्य कठिनाई के निराकरण के लिए अपेक्षित कि:-

- (क) सभी लोक प्राधिकरणों के मुख्यालयों पर संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने जानकारी दी जाये।
- (ख) सभी लोक प्राधिकरणों के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी दी जाये।

इस प्रकार के सूचना पट्ट लगाने के लिए कार्यकारी व्यवस्था अलग से निर्धारित की जा रही है। समस्त लोक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वे प्रपत्र-1 एवं 2 का आलेख तैयार करा लें।

(21)

२५७

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये यह अपेक्षित है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी के स्तर पर आवेदन पत्रों के सम्बंध में युक्ति संगत ढंग से इन्द्राज किया जाये। इस दृष्टि से कुछ पंजिकाओं का संधारण किया जाना अत्यावश्यक है। विभिन्न स्तरों पर जिन पंजिकाओं का संधारण किया जाना उपयोगी होगा उनके लिये प्रारूप तैयार कराकर संलग्न किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रारूप के अनुसार पंजिकाओं का नियमित संधारण किया जाये।

अधिनियम के जनोपयोगी महत्व को देखते हुए यह भी अपेक्षित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना संबंधी कुछ विन्दुओं— जैसे कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने प्रकरणों में लापरवाही बरतने संबंधी कार्यवाही हुई आदि. जिनके बारे में समीक्षा की दृष्टि से समय समय पर जानकारी चाही जा सकती है, बाबत जानकारी राज्य स्तर पर भी संधारित की जाये। इस दृष्टि से यह अपेक्षित है कि सूचना के अधिकार के लिये सृजित वेबसाइट www.rajasthan.gov.in/rti-info पर संलग्न प्रपत्र—३ के अनुसार सूचनाएं नियमित संधारित किये जाने की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इस वेबसाइट पर सीधे इन्द्राज किये जाने के लिये यूजर आई.डी एवं पासवर्ड दे दिये गये हैं। जो उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। अपेक्षित है कि लोक प्राधिकरण द्वारा इसमें सूचना इन्द्राज करने के लिये पुख्ता व्यवस्था कर ली जावे। वेबसाइट पर इन्द्राज की गयी सूचना में अनाधिकृत तौर पर परिवर्तन नहीं किया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि लोक प्राधिकरण स्तर पर सूचना का इन्द्राज करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा पासवर्ड परिवर्तित कर, अपनी सुविधा के अनुसार दिनांक 20.8.2006 तक नया पासवर्ड निर्धारित कर लिया जावे। पासवर्ड परिवर्तित करने संबंधी मार्गदर्शन परिशिष्ठ 'क' संलग्न है।

पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में इस बाबत व्यवस्थाओं में व्यवहारिक दृष्टि से भिन्नता रखी गयी है। जिले की समस्त पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में इन्द्राज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कराया जावेगा। इस बाबत प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे तत्काल सूचना के इन्द्राज पुख्ता व्यवस्था कर लेवें एवं उपरोक्तानुसार पासवर्ड भी परिवर्तित कर लेवें ताकि वेबसाइट पर इन्द्राज को अनाधिकृत रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सके।

चूंकि अधिनियम द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसे लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने एवं इसी प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने पर भी उसे प्राप्त कर अपील अधिकारी को प्रेषित करने का महत्वपूर्ण दायित्व संलग्न प्रपत्र—४ के अनुसार पंजिका संधारित की जावे।

अधिनियम के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिये यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा न केवल सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है बल्कि आवेदक

27

संबंधी व्यवस्था के सार्वत्रिक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिये गये थे एवं राज्य लोक सूचना आयोग का बैठक में अप्रैल, 2008 में किया जा चुका है परन्तु अभी तक अधिकारी लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित सूचनाओं प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

आवेदक को मार्गदर्शन दिये जाने एवं सूचना दिये जाने के प्रति उत्साह दिखाने के अभाव में आवेदक द्वारा ऐसी सूचना के लिए भी आवेदन दिये जाने लगे हैं जिसे उपलब्ध कराना विधिक या व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। ऐसे कुछ प्रकरण भी सज्जान में आये हैं जिनमें लोक सूचना अधिकारी, सहयोग कर्ता अधिकारी को ही अधिनियम का वायित्व निर्वहन का निर्देश दे देते हैं। अधिनियम का मन्तव्य सूचना प्रदान करने का वायित्व निर्वहन का निर्देश दे देते हैं। अधिनियम का मन्तव्य यह है कि आम जनता को विधि व्यवस्था के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने पर यह है कि यथा सम्भव सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली सूचनाओं को रखी रख्याएव सूचित किया जावे।

धारा 4 के अधीन निर्दिष्ट सूचनाओं के प्रचलित किये जाने के अभाव में एवं विभिन्न लोक प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी प्रदर्शित नहीं होने के कारण जहाँ एक दूरफ एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रदर्शित नहीं हो तो उहाँही दूसरी दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुसार प्रदर्शन करने के कारण अधिनियम के कियान्वयन में कठिनाई का अनुभव होता रहा है।

लोक सूचना अधिकारियों सहायक लोक सूचना अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु आम नागरिकों के लिए अपेक्षित जानकारी दी जाए गयी है, तथा विधिक व्यवस्था के अनुसार जनजाति एवं समाजान्वयन उपलब्ध करा दिये गये हैं, तथा विधिक व्यवस्था के अनुसार गाईड भी तैयार करानी गयी है जिसे निकट भविष्य में प्रकाशित कराया जाना है। इसमें आम नागरिकों के लिए अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। परन्तु इस व्यवस्था का आम नागरिक को लाभ तभी मिलेगा जब वह इसका अध्ययन करने की स्थिति में होगा। अतः आम नागरिक की सामान्य कठिनाई के निराकरण के लिए अपेक्षित किए-

- सभी लोक प्राधिकरणों के मुख्यालयों पर संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने जानकारी दी जाये।
- सभी लोक प्राधिकरणों के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी दी जाये।

इस प्रकार के सूचना पट्ट लगाने के लिए कार्यकारी व्यवस्था अलग से निर्धारित की जा रही है। समस्त लोक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वे प्रपत्र-1 एवं 2 का


(23)

को युक्ति संगत मार्ग दर्शन भी दिया जाता है। यह भी अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदन पत्रों, उन पर की गयी कार्यवाही, जमा फीस आदि का सुरक्षित बौरा भी संधारित किया जाता है। इसके लिये प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर निम्न पंजिकाएँ संधारित की जावे :-

1. आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं निरस्तारण पंजिका (संलग्न प्रपत्र-5)।
2. फीस आदि संबंधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र-6)।
3. आवेदन निरस्तारण करने संबंधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र-7)।
4. सूचना आयोग के नियमों/ सुझावों के कियान्वयन संबंधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र-8)।

इसी प्रकार अपील अधिकारी के स्तर पर भी अपील संबंधी संकलित सूचना का संधारण अपेक्षित है। अतः प्रत्येक अपील अधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र-9 पंजिका का संधारण किया जावे।

आज्ञा से,


॥४५६

(वी.एस.सिंह)


प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों की समीक्षा कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. समस्त अपील अधिकारी एवं समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्न ही भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान (समस्त)
4. विशिष्ट महायक, गृह मंत्री/ गृह राज्य मंत्री
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण
6. रक्षित पत्राली।


॥४५६

शासन उपरोक्त सचिव (समन्वय)

'लोक सूचना अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार वेब पोर्टल में पासवर्ड की व्यवस्था'

राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 'सूचना के अधिकार' के लिये एक तंत्र प्रणाली के माध्यम से सूचना के अधिकार का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को विभाग-वार, संबंधित विभाग के इस व्यवस्था में, प्रत्येक लोक-सूचना-अधिकारी को एक उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID Name) एवं पासवर्ड आवंटित किया गया है जिससे वह अपने विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों की जानकारी एवं उन पर हुई कार्यवाही का मॉनिटरिंग कर सके।

'सूचना का अधिकार' का वेब-पोर्टल आरंभ होने के उपरांत, प्रथम बार, यह उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID Name) एवं पासवर्ड प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिशः सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् लोक-सूचना अधिकारी इस पासवर्ड को अपनी सुविधानुसार समय-समय पर परिवर्तित कर सकते हैं। किन्तु यह कार्य सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। इस विषय में संबंधित अधिकारी को पासवर्ड का रखरखाव (Maintenance) करना एवं इसे 'सुरक्षित रखना (Safe & Secure) व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। पासवर्ड परिवर्तन की विधि निम्नानुसार है :-

1. अपना उपयोगकर्ता-पहचान-नाम (User ID Name) प्रविष्ट करें।
2. अपना वर्तमान पासवर्ड प्रविष्ट करें।
3. पासवर्ड परिवर्तन के लिये "Change Password" बटन का चयन करें।
4. आपके समक्ष निम्न स्क्रीन उपलब्ध होगी।

Enter Old Password (पुराना पासवर्ड प्रविष्ट करें)

Enter New Password (नया पासवर्ड प्रविष्ट करें)

Re-enter New Password (नया पासवर्ड पुनः प्रविष्ट करें)

OK	Cancel

5. उपरोक्त प्रदर्शित स्क्रीन पर चाही गई सूचना प्रविष्ट कर आप अपना पासवर्ड परिवर्तित कर सकते हैं।
6. इस विधि के अनुसार परिवर्तित पासवर्ड का सावधानी पूर्वक उपयोग, सुरक्षा एवं प्राप्त आवेदनों आदि की सूचना इस पासवर्ड के अभाव में नहीं हो सकती है। कृपया ध्यान रखें कि इस पासवर्ड की सूचना किसी अन्य को होने पर, दुरुपयोग होने की संभावना है, जिसके लिए नामित लोक-सूचना-अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। अतः इस पासवर्ड की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है।

पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण परिका

四

फीस, अधिकार एवं कोस्ट सम्बन्धी पंजिका

9

अधिकारी		अधिकारी का नाम एवं पदा		आवेदक प्रति दिनांक	आवेदन का नाम एवं पदा	आवेदन पर कोटि धरा 4 (4)	कोटि धरा 6 (1)	कुलकृष्ण धरा 6 (1)	कुलकृष्ण धरा(5) 7 (1)	उत्त्युक्त धरा मिश्र	पूल साहि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		

आवेदन निस्तारण (खारिज) के सभी सम्बन्धी पंजीका

प्रति 7

अधिकृत व्यक्ति का नाम
लोक सम्मान अधिकारी का नाम

पद	जनरल	अवृद्धि वर्ष ना एवं प्रेसिक	अवृद्धि का नाम पता	आवश्यक पर्याप्त प्राप्ति दिनांक	आवश्यक संज्ञे में दिनांक	खारिज करने का कारण अन्तर्गत धारा 8												अन्य कार्य सूचना
						8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.	18	19

अपील सम्बन्धी संकलित इच्छा पंजिका

20